निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-97 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा** के माह 03/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 02.11.2017 तक श्री .... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.के.जोगी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री विजय कुमार वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.03.2016 से 19.03.2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 06/2014 से 02/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 06/2014 से 02/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व एवं व्यय हेतु माह 03/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	227.26
2015-16	224.65
2016-17	297.61

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य		बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन (₹)	व्यय (₹)	आवंटन (₹)	व्यय (₹)		स्थापना (₹)	गैरस्थापना (₹)
2014-15	-	-	665.65	665.56	266.49	266.33	-	0.08	0.16
2015-16	-	-	628.65	625.69	249.35	249.24	-	2.95	0.10
2016-17	-	-	582.58	581.63	282.60	281.06		0.94	1.53

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है: (रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय
2016-17	इंटेसिफिकेशन आफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट	-	7.556	7.556

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:**

सचिव- मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय)- वन संरक्षक (संबंधित क्षेत्र)- प्रभागीय वनाधिकारी

(V) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 07/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया ।

व्यय की जांच हेतु 03/2016, 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो --------------------

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ....------
....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

586

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 लीसा की मानक से कम प्राप्ति तथा 8761 घावों पर कार्य न किये जाने से लीसा की कम आमद होने से राजस्व क्षति ₹ 25.02 लाख ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 159273 लीसा के दोहन हेतु घावों में से 150512 घावों पर ही दोहन का कार्य किया गया । उन पर निर्धारित मानक 4 किग्रा0 प्रति घाव की दर से 6020.48 कुन्तल लीसा का उत्पादन होना था, जबकि वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से 5957.13 कुन्तल का ही उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 63.35 लीसा का कम उत्पादन हुआ जिससे वर्ष के दौरान ₹ 3,83,141 की राजस्व क्षति हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

कुल घावों की संख्या जिन पर कार्य किया जाना था	कुल घाव की संख्या जिन पर कार्य हुआ	प्रति घाव पर निर्धारित प्राप्ति (कि0ग्रा0 में)	जिन घावों पर कार्य हुआ, उन पर निर्धारित मानकों से निर्धारित प्राप्ति (कुन्तल में)	वास्तविक प्राप्ति (कुन्तल में)	निर्धारित मानक से प्राप्ति में कमी (कुन्तल में)	वर्ष के दौरान लीसा का औसत बिक्री मूल्य प्रति कु (₹ में)	वर्ष के दौरान औसत उत्पादन लागत (प्रति कु0)	राजस्व प्राप्ति (प्रति कुंतल)	राजस्व क्षति (₹ में)
159273	150512	4	6020.48	5957.13	63.35	6,048*	शून्य	6,048	3,83,141

माह	**दर प्रति कुन्तल (₹)**
01/03/2016	6,850
12/03/2016	7,000
08/04/2016	6,100
07/05/2016	6,030
08/06/2016	6,025
13/07/2016	6,010
22/08/2016	6,010
15/09/2016	6,000
17/10/2016	6,000
16/11/2016	6,000
10/12/2016	6,000
06/01/2016	6,000
18/02/2017	4,600

योग 78,625 ÷ 13 = ₹ 6,048*

63.35 कु0 x ₹ 6,048 = ₹3,83,141

इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 में लीसा के दोहन हेतु निर्धारित 159273 घावों के सापेक्ष मात्र 150512 घावों पर ही कार्य किया गया । इस प्रकार, 8761 घावों पर कार्य नहीं किया गया । जिसके कारण 8761÷100 x 4 = 350.44 कुन्तल उत्पादन कम हुआ । जिससे 350.44 कुन्तल x ₹ 6,048 = ₹ 21,19,461 की राजस्व कमी भी हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रभाग द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश घावों की संख्या 150512 होने से निर्धारित लक्ष्य ₹ 6,020.48 प्रदर्शित हो गया है, जिसमें सुधार अंकित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त आमद कम होने के सम्बन्ध में बताया गया कि वन पंचायत बानढौंक से वसूली की गयी है तथा शेष द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण जमानत जब्त की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को इस आधार पर अमान्य है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 व्यतीत होने के बाद निर्धारित लक्ष्य में सुधार का कोई औचित्य नहीं होगा ।

अतः लीसा के मानक से कम प्राप्ति होने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 3.83 लाख एवं लीसा की निर्धारित आमद प्राप्त न होने से ₹ 21.19 लाख अर्थात् कुल धनराशि ₹ 25.02 लाख की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-2 'ब'</u>

प्रस्तर-2 लीसा की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री पर स्टाम्प शुल्क कम लिये जाने से राजस्व क्षति ₹ 6.92 लाख ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-2 ख के अनुच्छेद 18 और भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(ग) के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री के विक्रय प्रमाणपत्र पर 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया जाना है और विक्रय प्रमाणपत्र को पंजीकृत कराना आवश्यक है ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह 03/2016 से 03/2017 के दौरान **<u>संलग्नक- 'क'</u>** में उल्लिखित रसीदों से की गयी लीसा की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री ₹ 2,30,77,600 पर स्टाम्प शुल्क 2 प्रतिशत की दर से ₹ 4,61,552 आरोपित एवं संग्रहित किया गया, जबकि उपरोक्त अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुल्क ₹ 11,53,880 आरोपणीय था । इस प्रकार, लीसा की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री पर स्टाम्प शुल्क ₹ 6,92,328 कम लिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि लीसा की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री पर स्टाम्प शुल्क मात्र 2 प्रतिशत की दर से मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्याः 2221/10-2 (स्टाम्प शुल्क) दिनांक 06 मार्च, 2013 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में लिया गया है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-2 ख के अनुच्छेद 18 के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री के विक्रय प्रमाणपत्र पर 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने का प्रावधान है ।

अतः लीसा की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री पर स्टाम्प शुल्क कम लिये जाने से राजस्व क्षति ₹ 6.92 लाख प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक- 'क'

क्रम सं0	रसीद सं0 व दिनांक	क्रेता का नाम	विक्रय की धनराशि (₹)	दो प्रतिशत की दर से दिया गया स्टाम्प शुल्क (₹)	स्टाम्प शुल्क जो निर्धारित था (₹)	कम लिया गया स्टाम्प शुल्क (₹)
1.	109/1.3.16	मै0 बोरा वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	2,74,000	5,480	13,700	8,220
2.	110/1.3.16	मै0 अम्बिका वार्निश उद्योग, द्वारहाट	8,90,500	17,810	44,525	26,715
3.	111/1.3.16	- तदैव -	8,56,250	17,125	42,812	25,687
4.	112/12.3.16	मै0 त्रिशूल इन्टरप्राईजेज, अल्मोड़ा	5,95,000	11,900	29,750	17,850
5.	01/7.4.16	मै0 अर्जुन वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	7,50,000	15,000	37,500	22,500
6.	02/7.4.16	- तदैव -	2,70,000	5,400	13,500	8,100
7.	03/7.4.16	- तदैव -	5,22,750	10,455	26,137	15,682
8.	04/8.4.16	मै0 मां त्रिमूर्ति उद्योग, नैनीताल	7,62,500	15,250	38,125	22,875
9.	05/11.4.16	मै0 गणेश वार्निश उद्योग, नैनीताल	5,14,250	10,285	25,712	15,427
10.	06/13.04.16	मै0 अर्जुन वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	5,10,000	10,200	25,500	15,300
11.	07/23.04.16	मै0 मां त्रिमूर्ति उद्योग, नैनीताल	2,74,500	5,490	13,725	8,235
12.	33/4.7.16	मै0 शारदा इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,542	15,325
13.	34/5.7.16	मै0 पंकज इण्टरप्राईजेज, हल्द्वानी	5,10,000	10,200	25,500	15,300

578

14.	35/5.7.16	- तदैव -	5,10,000	10,200	25,500	15,300
15.	36/6.7.16	मै0 सूरज पेंट एण्ड वार्निश इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,542	15,325
16.	37/12.7.16	मै0 शारदा इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,542	15,325
17.	38/12.7.16	मै0 सूरज पेंट एण्ड वार्निश इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,542	15,325
18.	39/12.7.16	मै0 शारदा इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,542	15,325
19.	40/13.7.16	मै0 बोरा वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	6,90,575	13,811	34,529	20,718
20.	41/15.7.16	मै0 सूरज पेंट एण्ड वार्निश इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,542	15,325
21.	42/18.7.16	मै0 शारदा इण्ड्स्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,542	15,325
22.	43/25.7.16	मै0 शारदा इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,000	10,200	25,500	15,300
23.	44/25.7.16	मै0 पुष्प वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	5,11,275	10,226	25,564	15,336
24.	45/27.7.16	मै0 शारदा इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,000	10,200	25,500	15,300
25.	115/18.3.17	मै0 शारदा इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,000	10,200	25,500	15,300
26.	116/18.3.17	- तदैव -	5,10,000	10,200	25,500	15,300
27.	117/21.3.17	- तदैव -	5,10,000	10,200	25,500	15,300
28.	118/23.3.17	- तदैव -	5,10,000	10,200	25,500	15,300
29.	119/28.3.17	मै0 बोरा वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	5,10,000	10,200	25,500	15,300
30.	120/28.3.17	मै0 पुष्प वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	5,24,450	10,489	26,223	15,734

576

31.	46/4.8.16	मै0 सूरज पेंट एण्ड इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,850	10,217	25,543	15,326
32.	47/4.8.16	- तदैव -	5,10,850	10,217	25,543	15,326
33.	50/10.8.16	मै0 बोरा वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	6,60,000	13,200	33,000	19,800
34.	75/10.10.16	मै0 अम्बा पेंट एण्ड वार्निश इण्डस्ट्रीज, अल्मोड़ा	7,80,000	15,600	39,000	23,400
35.	105/17.12.16	मै0 भूमिपुत्र वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	7,80,000	15,600	39,000	23,400
36.	106/17.12.16	मै0 त्रिमूर्ति उद्योग, नैनीताल	6,60,000	13,200	33,000	19,800
37.	113/25.1.17	मै0 भूमिपुत्र वार्निश उद्योग, अल्मोड़ा	7,50,000	15,000	37,500	22,500
38.	18/25.5.16	मै0 अम्बा पेंट एण्ड वार्निश इण्डस्ट्रीज, अल्मोड़ा	7,83,900	15,678	39,195	23,517
39.	76/10.10.16	मै0 मां शारदा इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,000	10,200	25,500	15,300
40.	77/13.10.16	मै0 विमला इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,000	10,200	25,500	15,300
41.	78/14.10.16	मै0 सूरज पेंट एण्ड वार्निश इण्डस्ट्रीज, हल्द्वानी	5,10,000	10,200	25,500	15,300
		योग	**2,30,77,600**	**4,61,552**	**11,53,880**	**6,92,328**

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-3 प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना में ₹ 14.33 लाख अवरूद्ध रहना ।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून के द्वारा प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत IWMP-**VII/2012-13** में ₹ 39.58 लाख एवं **IWMP-VIII/2012-13** में ₹ 40.58 लाख प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को आवंटन किया गया । जिसमें उक्त परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में नौला निर्माण, नौला जीर्णोद्धार, पेयजल निर्माण, चैकडैम निर्माण एवं समूह में आजीविका विकास कार्य, पशुपालन, मौन पालन के कार्य को सम्पादित कराये जाने थे । जिसके अन्तर्गत गरीब नागरिकों एवं किसानों को मौन पालन, पशु पालन हेतु धनराशि एवं मसाला खेती हेतु अदरख एवं हल्दी के बीज उपलब्ध कराये जाने थे जिससे गरीब किसान, नागरिकों की आय को बढ़ाया जा सके, परन्तु योजना का संचालन एवं पर्यवेक्षण सुचारू रूप से नहीं होने के कारण ₹ 14.37 लाख दो वर्ष से अवरूद्ध पड़ी थी । जिसको व्यय नहीं किया जा सका था । जिससे उपरोक्त योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी थी और वर्तमान में पूर्व में कराये गये कार्य गतिमान है अथवा नहीं । इकाई सूचना देने में असफल रहा ।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त राशि दो वर्ष से पड़ी है एवं परियोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का संचालन उचित माध्यम से नहीं कराया जा रहा है ।

अतः प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना में ₹ 14.33 लाख अवरूद्ध रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

STAN- ऑनलाईन बुकिंग न होने से गेस्ट हाउस का समुचित उपयोग न होना ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईकोटूरिज्म, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 633/14-2 देहरादून दिनांक 4.6.2016 के द्वारा वन प्रभाग कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वन विश्राम गृहों/बैम्बू हट/प्रीफैब हट्स के बुकिंग ऑनलाईन रिजर्वेशन किये जाने हेतु प्रस्ताव की मांग की गयी थी, जिससे प्रदेश में पर्यटकों/आगन्तुकों को सुविधा प्रदान की जा सके और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग के अन्तर्गत 1. जागेश्वर, 2. धौलादेवी, 3. बिनसर, 4. डीनापानी, 5. बाड़ेछीना, 6. चायखान, 7. पथरिया, 8. कनारीछीना में कुल 8 वन विश्राम गृह है । उक्त वन विश्राम गृह में पर्यटक रात्रि विश्राम करते हैं । जिसमें बिनसर तथा जागेश्वर वन विश्राम गृह में ₹ 2,000 प्रति रूम किराया है तथा अन्य समस्त वन विश्राम गृहों का किराया ₹ 750 प्रति रूम है । लेखापरीक्षा द्वारा जांच में पाया गया कि किसी भी वन विश्राम गृह का ऑनलाईन रिजर्वेशन नहीं हो रहा है । वर्ष के अधिकांश दिनों में विश्राम गृह रिक्त रहे, जिससे राजस्व क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया उच्च स्तर से उच्चाधिकारियों के दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अतः ऑनलाईन बुकिंग न होने से गेस्ट हाउस का समुचित उपयोग न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

570

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
83/2010-11	01	01,02
85/2012-13	-	01,02
38/2014-15	01	01,02
222/2015-16	-	01,02,03

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आर.सी. शर्मा	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

Raj Kumar
01-12-17

लेखापरीक्षा अधिकारी

01/12/17
AAO/RS